इस्लाम में नारी

गुरु विरजानन्द दण्डी
सन्दर्भ पुस्तकालय 5334
पु परिग्रहण क्रमांक
दयानन्द महि...

लेखक—

आचार्य डा० श्रीराम आर्य

मूल्य १.२५
विषय ३-७-३२
दिनांक ......

प्रकाशक

वैदिक साहित्य प्रकाशन, कासगंज

सुभाषचन्द्र आर्य

इस्लाम में नारी

संसार में सभी सभ्य जातियों के लोग नारी जाति की रक्षा करना उसका सन्मान करना सर्वोपरि धर्म समझते हैं। नारी पुत्री बहिन व माता के रूप में सन्मान की पात्र होती है। विवाहित होने पर अपने पति के साथ ग्रहस्थ जीवन में पति की जीवन संगिनी के रूप में जीवन को आनन्द से भरपूर रखने वाली गृहस्थ की चिन्ताओं से पति को मुक्त रखने वाली, कार्यों में मन्त्री के रूप में सलाह देने वाली, सेविका के समान उसकी अनुचरी-माँ के समान प्रेम से उसे भोजन से तृप्त रखने वाली तथा सृष्टि क्रम को जारी रखने वाली, श्रेष्ठ सन्तान को जन्म देने वाली, उसकी सर्वप्रथम शिक्षिका के रूप में निर्मात्री होती है। प्रत्येक स्थिति में पति एवं परिवार की समादरणीय रहती है। वैदिक धर्म में नारी का समाज में सर्वोपरि स्थान है। विवाहित होने पर पति पत्नी के रूप में जीवन भर के लिये दो प्राणी एक दूसरे के अटूट साथी बन जाते हैं। तलाक व बहु-पत्नीवाद के लिए वैदिक धर्म (हिन्दू समाज) में कोई स्थान नहीं है।

वैदिक धर्म में युद्ध में भी नारियों की रक्षा का आदर्श है। शत्रु पक्ष की स्त्रियों कन्याओं-वृद्धों युद्ध में अलिप्त एवं शरणागतों की रक्षा की मर्यादा है। किन्तु इस्लाम मजहब में नारी की समाज-परिवार तथा युद्धों में शत्रु द्वारा नारी के साथ क्या व्यवहार होता है, हम उसका कुछ दिग्दर्शन आगे कराते हैं जिससे मुस्लिम समाज में नारी की स्थिति को सभी समझ सकें।

बहुविवाह

"अगर तुमको इस बात का डर हो कि बेसहारा लड़कियों में इन्साफ कायम न रख सकोगे तो अपनी इच्छा के अनुकूल दो-दो तीन-तीन, चार-चार औरतों से निकाह करलो, लेकिन अगर तुमको

इस बात का शक हो कि बराबरी न कर सकोगे तो एक ही बीबी करना। या जो तुम्हारे कब्जे में हो उस पर सन्तोष करना। यह तदबीर मुनासिब है।" (कु० पा० ४ सू० निसा आ० ३)

कुरान की इस आयत का अर्थ स्पष्ट है कि अगर तुमको बहुत सी बीबियों में इंसाफ कायम रख सकने का विश्वास हो यानी सबके साथ हर बात में एक जैसा व्यवहार कर सको तो जितनी चाहो बेशुमार बेसहारा औरतों को बीबी बना कर रखलो, शरीर में दम हो, पैसे की ताकत हो तो खुदा को कोई आपत्ति नहीं है। और यदि कमजोरी हो तो भी दो दो, तीन तीन, चार चार औरतें शौक के लिये रख लो या ब्याह लो। यदि बहुत कमजोरी हो तो फिर एक बीबी पर ही तसल्ली मजबूरी में कर लो। इसमें चार-चार के बाद 'तक' शब्द नहीं है। इससे स्पष्ट है कि चार की अन्तिम सीमा नहीं है, ज्यादा भी कर सकते हो। समर्थ मुसलमानों को व्यभिचार के लिये बेशुमार औरतें रखने की छूट है। कुरान ने यह नहीं खोला है मर्दों की तरह एक औरत कितने मर्दों को शौक के लिए पाल सकती है।

कुरान में आगे लिखा है–ऐसी औरतें जिनका खाविन्द जिन्दा हो, उनका लेना भी हराम है, मगर जो कैद होकर तुम्हारे हाथ लगी हों उनके लिये तुमको खुदा का हुक्म है। और उनके सिवाय दूसरी सब औरतें हलाल हैं जिनको तुम माल देकर कैद से लाना चाहो न कि मस्ती निकालने के लिये।" कु० पा० ४ सू० निसा आयत २४।

इसके अनुसार शौहर वाली औरतों से निकाह की मना है मगर दुश्मन की औरतों को व्यभिचार के लिये पकड़ लाने की स्वीकृति कुरान देता है। रुपया पैसा देकर (फीस देकर) व्यभिचार को औरतें रखने की खुली छूट ऊपर दी गई है। उनको बीबी भी बना सकते हो कोई रुकावट नहीं है।

कुरान एक बात और भी कहता है "जिन औरतों के साथ तुम्हारे

बाप ने निकाह किया हो, तुम उनके साथ निकाह न करना, मगर जो हो चुका सो हो चुका। यह बड़े गजब की बात थी और बहुत ही बुरा दस्तूर था।२२। तुम्हारी मातायें-बेटियाँ और तुम्हारी बहिनें और ···दूध शरीकी वहिनें·· तुम पर हराम हैं।" कु० सू० निसा आ० २३।

कुरान से पहिले किसी भी किताब में खुदा ने सभी माताओं और बहिनों से विवाह पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया था. खुदा ने तौरात जबूर व इञ्जील से कभी इन प्रथाओं का निषेध नहीं किया था। जबकि यह व्यभिचार प्रथा आदम और हब्बा से उसकी सगी बेटी बेटों के विवाह की खुदा ने ही चालू कराई थी जो अरब में चली आ रही थी। खुदा को इतने लम्बे अरसे तक इस रिवाज को रोकने की बात क्यों नहीं सूझी।

सुन्नी मुसलमानों के मान्य इमाम अबू हनीफा तो सगी माँ-बहिन बेटी से भी ज़िना करने को गुनाह नहीं मानते थे।

बीबियां बदलने का आदेश

कुरान में लिखा है—"अगर तुम्हारा इरादा एक बीबी को बदल कर उसकी जगह दूसरी बीबी करने का हो तो जो तुमने पहिली बीबी को बहुत सामान दे दिया हो तो भी उसमें से कुछ भी न लेना। क्या किसी को तौहमत लगा कर जाहिरा बेजा बात करके अपना दिया हुआ लेते हो।" २०। कु० सू० निसा।

तलाक देकर या बिना तलाक दिये मर्दों को इच्छानुसार आपस में अपनी बीबियाँ बदल लेने का अधिकार कुरान ने इस शर्त पर दिया है कि इसे दिया हुआ माल वापिस न लिया जावे। इस शर्त को पालन करने वाले दो दोस्त आपस में अपनी बीबियाँ ऐसे ही बदल सकते हैं जैसे लोग अपनी बकरी या गाय भैंस बदल लेते हैं।

हिन्दू समाज में पति पत्नी का रिश्ता जीवन भर को होता है,

पर इस्लाम में मर्द चाहे जब पुरानी बीबी को पुरानी जूती की तरह नई नवेली से बदल सकता है। कोई बीबी नहीं जानती कि उसका शौहर कब उसे नई से बदल लेवे। इसके लिये तलाक का आसान तरीका इस्लाम में चालू है। मर्द सिर्फ तीन बार तलाक-तलाक-तलाक औरत से बोल दे और तलाक जायज हो जाता है। कुरान में सूरते बकर रूकू २८ में आयत २२८ से २३७ तक तलाक का विधान है। उस पर श्री अहमद बशीर साहब M. A. कामिल, दबीर कामिल मौलवी अपने कुरान भाष्य में पृ० ५५ पर लिखते हैं—

तलाक का यह दस्तूर है कि जब कोई मुसलमान मर्द अपनी औरत को तलाक देता है तो कम से कम दो आदमियों के सामने तलाक देता है, और एक महीने के बाद दूसरी तलाक भी उसी तरह देता है। यहां तक तो मियां बीबी में सुलहनामा हो सकता है। इसके एक महीने बाद तीसरी तलाक दी जाती है। इस तलाक देने के बाद फिर मर्द उस औरत के पास नहीं जा सकता। यह औरत तीन महीना दस दिन बाद निकाह गैर आदमी से कर सकती है। दूसरे पति के साथ निकाह हो जाने पर अगर दूसरा पति तलाक दे दे तो सिर्फ इस हालत में कि वह दूसरे पति के साथ सम्भोग कर चुकी हो (हम बिस्तर हो चुकी हो) अपने पूर्व पति के साथ फिर निकाह कर सकती है। परन्तु जब तक किसी दूसरे के साथ निकाह करके विषय भोग न करले (यानी हम बिस्तर न हो ले) कदापि पति से निकाह नहीं कर सकती।"

इस तलाक विधान में हम केवल यह बात नहीं समझ सके कि तीसरी तलाक के बाद औरत को गैर से निकाह व संभोग कराने बाद उसे तलाक देकर आने पर ही पूर्व पति स्वीकार करेगा, बिना गैर से संभोग कराये नहीं करेगा ? दूसरा शौहर करके उससे कुकर्म कराने पर औरत में कौन सा जायका बढ़ जाता है, मौलवी लोग खुलासा करें। हमारी निगाह में तो इससे औरत बेशर्म ही बनेगी।

कुरान की इस आयत के समर्थन में बुखारी ने एक कथा दी है जो हदीस नं० ६८२ पृ० ३३१ व ३३२ पर लिखी है :—"हजरत आयशा कहती हैं कि रफाअकुरती की औरत रसूल अल्लाह सले औलियह वसल्लम (मुहम्मद साहब) की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज की मैं रफाअ के पास (यानी उसके निकाह में) थी। उसने मुझे तलाक दे दी (तीन तलाकें दे दीं) उसके बाद मैंने अब्दुल रहमान विन जबीर से निकाह कर लिया। उसके पास कपड़े के फुन्दने की तरह है (यानी उसका ऐजातमा सुल ढीला और नरम है)। आपने फरमाया क्या तू अफाअ के पास फिर जाना चाहती है। नहीं (तू नहीं जा सकती) जब तक तू अब्दुल रहमान विन जवीर का शहद न चख ले और वह तेरा शहद न चखले।" तिरमिजी शरीफ में भी सुफा २२५ हदीस ६८१ में यही कथा दी है। वहां शहद की जगह "जायका न चखले और तेरा शहद वह न चख ले" शब्द लिखे हैं।

आश्चर्य है इस्लाम में ऐसी शर्मनाक बात को बीबी आयशा के मुंह से कहलवाया गया है जिसे कोई भी औरत अपने मुंह से कहना बताना पसन्द नहीं कर सकती।

इस विषय में निम्न उद्धरण भी विचारणीय है—

यहुदी धर्म पुस्तक तौरात जिसे कुरानी खुदा ने खुदाई किताब कुरान में कई जगहों पर खुदाई घोषित किया है उसमें व्यवस्था विवरण नं० २४ में लिखा है—

(१) "यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्यागपत्र लिख कर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। (२) और जब वह उसके घर से निकल जाये तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। (३) परन्तु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे, और वह उसके लिये त्यागपत्र लिख कर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे वा वह दूसरा पुरुष जिसने

उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाये। (४) तो उसका पहिला पति जिसने उसको निकाल दिया हो उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी न बनाये क्योंकि यह यहोवा (खुदा) के सम्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तू उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है पापी न बनाना।"

यहूदी खुदा की इस खुदाई पहिली किताब में गैर से सम्भोग करा लेने पर पहिला पति स्त्री को कदापि स्वीकार न करे यह आदेश है परन्तु कुरानी अरबी खुदा की पूर्व पति द्वारा तलाक शुदा पत्नी को पुनः लेने की शर्त ही यह है कि वह किसी दूसरे पुरुष से निकाह व सम्भोग कराके आने के बाद ही उसे ले सकता है? समझ में नहीं आता दोनों खुदाओं के हुक्मों में से कौन सा ठीक है। मुस्लिम विद्वानों को विचार करके स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिये कि इस विषय में दोनों खुदाई आदेशों में विरोध के वैज्ञानिक रहस्य क्या है?

कुरान की एक व्यवस्था व्यभिचार के समर्थन में और भी देखें—

और तुम्हारी लोंडिया जो पाक रहना चाहती है उनको दुनियां की जिन्दगी के फायदे की गरज से हरामकारी पर मजबूर न करो, और जो उनको मजबूर करेगा तो अल्लाह उनके मजबूर किये गये पीछे क्षमा करने वाला मेहरवान है।३३। कु० पा० १२ सू० नूर रु० ४।

लोंडियों को जब मजबूर करने पर और व्यभिचार कर लेने पर अरबी खुदा व्यभिचारी मुसलमान को माफ कर देगा तो फिर व्यभिचार जुर्म कहाँ रहा। इसका अर्थ है कि खुदा और उसकी अरबी किताब व्यभिचार के खुले समर्थक हैं। इस्लाम (सुन्नी सम्प्रदाय) की मान्य अन्य पुस्तकों में व्यभिचार का बहुत समर्थन किया गया मिलता है—

"अगर किसी रोजादार ने किसी दीवानी औरत से विषय भोग कर डाला तो दोनों पर कोई पाप या प्रायश्चित नहीं है।"

फतावी काजीखाँ जि० १ ह० १०१।

"अगर कोई रोजादार शख्स चौपाये या मुरदा औरत या छोटी बच्ची से बदफैली करे और इज्जाल (वीर्यपात) न हुआ हो तो उस का रोजा नहीं टटता है और उस पर गुसल भी वाजिब नही होता।" फताबी काजीखां जि० १ सुफा १०० ॥

अतः मुसलमानों का इस्लाम में ब्रह्मचर्य की बात कहना उसकी हंसी उड़ाना है, लोगों को संयम के नाम पर गुमराह करना है।

इस्लाम में कुरान की निगाह में औरतों की कितनी इज्जत है यह देखने के लिये कुरान का निम्न आदेश भी देखने योग्य है—

"ऐ ईमान वालो (मुसलमानो) जो लोग मारे जावें, उनमें तुमको (जान के) बदले जान का हुक्म दिया जाता है। आजाद के बदले आजाद और गुलाम के बदले गुलाम-औरत के बदले औरत .... का हुक्म दिया जाता है। कु० सू० बकर रु० २२ आ० १७८।

इसमें खुदा ने हुक्म दिया है कि अगर कोई गुँडा किसी भले आदमी की ओरत से जिना बिलजब्र (व्यभिचार) कर डाले तो उस शरीफ आदमी को चाहिये कि वह भी उस गुण्डे की शरीफ औरत से बलात्कार करे। क्या यही खुदाई इन्साफ है कि बुराई करने वाले को दंड न देकर उसकी निर्दोष बीबी पर वैसा ही गुण्डापन करे? क्या बुराई का बदला बुराई दुनियां में शराफत का कानून है? औरतों की गुण्डों से रक्षा क्या ऐसे ही इस्लाम में होती है? क्या शरीफ औरतों की यही इज्जत इस्लाम में है?

कुरान का एक आदेश और भी देखने योग्य है। कु० पा० २ सू० बकर रु० २८ आ० २२३ में लिखा है। (खुदा ने कहा) "तुम्हारी बीबियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं। अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ और अपने लिये आइन्दा का भी बन्दोबस्त रखो, और अल्लाह से डरो और जाने रहो कि उसके सामने हाजिर होना है। (ऐ पैगम्बर!) ईमान वालों को खुशखरी सुना दो।" २२३॥ इसमें औरत से चाहे जैस तरह चाहे जिस ओर से सम्भोग करने को खुशखबरी बताया

गया है। इस आयत पर कुरान के मशहूर तर्जुमाकार शाह अब्दुल कादिर साहब देहलवी ने हाशिये पर हदीस दी है कि यह आयत क्यों बनी है। "(देखो दिल्ली का छपा कुरान)। वहां लिखा है यहूद कहते थे कि कोई शख्स औरत से इस तरह जमाअ (सम्भोग) करे कि औरत की पुश्त (पीठ) मर्द के मुँह की जानिब हो तो बच्चा जौल यानी भेंगा पैदा होता है। एक बार हजरत उमर रजी अल्लाह अन्स से ऐसा हुआ तो उन्होंने हजरत सले अल्लाह औलियह बसल्लम (मौहम्मद साहब से) अर्ज किया तो यह आयत नाजिल हुई यानी अपनी बीबी से हर तरह जमाअ (सम्भोग) दुरुस्त है कुरान की इस आयत के सम्बन्ध में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हफवातुल मुसलमीन में मौलाना शहजादा मिर्जा अहमद सुल्तान साहब मुस्तफवी चिश्ती "खाबर गुड़गाँवा निवासी" ने सुफा ४० व ४१ पर निम्न प्रकार लिखा है।

"एक दिन जनाब उमर फारुख रसूल अल्लाह के पास हाजिर हुये और अर्ज किया यारसूलअल्लाह! मैं हलाक हो गया—आपने फरमाया किस चीज ने हलाक किया—उन्होंने (मुहम्मद साहब से) अर्ज किया कि रात मैंने अपनी सवारी को औंधा कर लिया था। इब्नअब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह चुप रह गये। पस अल्लाह ताला ने वही भेज दी रसूल अल्लाह की तरफ (यहाँ वही आयत है जो ऊपर कु० पा० २ सूरते बकर की नं० २२३ लिखी है) कि "तुम्हारी बीबियां तुम्हारी खेतियां हैं वास्ते तुम्हारे जाओ अपने खेत में और जिधर से चाहो और अपने नफ्स का चाहाना करो पस अल्लाह से डरो और उसकी सुनो।" इसमें औरत से गुदा मैथुन की बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से मान्य साबित हो गई जो कह नहीं सकती है। "तुम्हारे लिये रोजों की रात में अपनी औरत से हमबिस्तरी हलाल है।" कु० पा० २ सू० बकर रु० २३ आ० १८७।

"एक रवायत में हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि चौपाये के साथ बुरा फैल करे उस पर हद (जुर्म) नहीं यह रवायत ज्यादा सही है।" तिहमिजी शरीफ सुफा २६० हिस्सा १ हदीस १२६४।

"आयशा रजी अल्लाह अंस से रवायत है कि नबी सले अल्लाह औलियत वसल्लम ने मुझसे उस वक्त निकाह किया कि मेरी उम्र ६ साल की थी।" बुखारी हिस्सा दूसरा सफा १७८ हदीस ४११।

"और वह लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं।५। मगर अपनी बीबियों और बांदियों के बारे में इल्जाम नहीं है।"६। कु० पा० १८ सू० मोमिनून।

इससे प्रगट है कि इस्लाम में नारी जाति को माता-पुत्री के रूप में नहीं वरन केवल विषय भोग के लिए पत्नी के ही रूप में (मर्दों की अय्याशी के साधन के रूप में) देखा व व्यवहार में लाया जाता है। उसकी अन्य कोई स्थिति नहीं है। मर्द जब भी चाहे उसे तलाक दे देवे।

यह तो इस दुनियां का हाल रहा अब जरा खुदा के घर जन्नत में भी औरतों की दशा देख लेवें— कुरान में जन्नत का हाल लिखा है—

(जन्नती मुसलमानों के लिये) "उनके पास नीची नजर वाली हूरें होंगी और हम उम्र होंगी।' कु० पा० २३ सू० साद आ० ५२।। "उनके पास नीची नजर वाली बड़ी आँखों की औरतें होंगी।४८। गोया वह छिपे अण्डे रखे हैं।"४९। सू० सापफात। "ऐसा ही होगा बड़ी-बड़ी आँखों वाली हूरों से हम उनका विवाह कर देंगे।"५४। सू० दुखान। "इनमें पाक हूरें होंगी जो आँख उठा कर भी नहीं देखेंगी और जन्नतवासियों से पहिले न तो किसी आदमी ने उन पर हाथ डाला होगा और न जिन्न ने।"५६। "हूरें जो खीमें में बन्द हैं।"७२। सू० रहमान। "हमने हूरों की एक खास सृष्टि बनाई है। ३५। फिर इनको क्वारी बनाया है।३६। प्यारी प्यारी समान अवस्था वाली।" ३७। सू० वाकिया।" "नौजवान औरतें हमउम्र ३३। और छलकते हुए प्याले।"३४। सू० नम्ल।

कुरानी खुदा के उक्त वर्णन के समर्थन में मिर्जा हैरत देहलवी अपनी किताब मुकद्दमाये तफसीरुल्कुरान में पृ० ८३ पर इस्लामी

बहिश्त का हाल लिखा है (जिसे शायद वे वहाँ जाकर देख भी आये हैं)। वे लिखते हैं कि—

"हजरत अब्दुल्ला विनउमर ने फरमाया कि स्वर्ग में रहने वालों में छोटे दर्जे का वह आदमी होगा कि उसके पास ६०००० सेवक होंगे और हर सेवक का काम अलग अलग होगा। हजरत ने फरमाया कि हर व्यक्ति (मुसलमान) ५०० हूरों, ४००० क्वारी औरतों और ८००० शादीशुदा औरतों से ब्याह करेगा।"

(इतनी अय्याशी के अलावा भी) स्वर्ग में एक बाजार है जहां पुरुषों और औरतों के हुश्न का व्यापार होता है। पस जब कोई व्यक्ति किसी सुन्दरी स्त्री की ख्वाहिश करेगा तो वह उस बाजार में आवेगा जहां बड़ी २ आँखों वाली हूरें जमा हैं···वे कहेंगी कि मुबारिक है वह शख्स जो हमारा हो और हम उसकी हों।"

हजरत अंस ने फरमाया हूरें गाती हैं 'हम सुन्दर दासियाँ हैं। हम प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए सुरक्षित हैं।" (जन्नत में भी रण्डियों के चकले चलते हैं यह स्पष्ट है।)

ये हैं जन्नत के नजारे। इस लोक में भी औरतों से व्यभिचार और मरने के बाद अल्लाह मियां के पास बहिश्त में भी हजारों औरतों से जिना होगा। क्या इससे यह साबित नहीं है कि इस्लाम में जिना खोरी ही जीवन का मुख्य व अन्तिम उद्देश्य है यहां भी और अरबी खुदा के घर जन्नत में भी। कुरानी जन्नत में औलाद चाहने पर फौरन हमल रह जावेगा और फौरन औलाद होकर जवान बन जावेगी। वह सब सिर्फ एक घण्टे में हो जावेगा। खुदा की जादूगरी का करिश्मा यह वहीं देखने को मिलेगा। न औरतों को नौ महीने तक तकलीफ भोगनी पड़ेगी, न वहाँ पालने पड़ेंगे (देखो तिरमिजी शरीफ हदीस ७३६ जिल्द दोयम)।

इस्लामी जन्नत में सिवाय औरतों से अय्याशी करने और शराब

पीने के अलावा मुसलमानों को और कोई काम धन्धा नहीं होगा। कुरान में जन्नत का हाल देते हुए लिखा गया है—

"यही लोग हैं जिनके रहने के लिये (जन्नत में) बाग हैं। इनके मकानों के नीचे नहरें बह रही होंगी। वहाँ सोने के कंकन पहिनाये जायेंगे और वह महीन और मोटे रेशमी हरे कपड़े पहिनेंगे। वह तख्तों पर तकिया लगाये बैठेंगे। अच्छा बदला है क्या खूब आराम है।"

कु० पा० १५ सू० कहफ रु० ४ आ० ३१।

यहाँ तुमको (जन्नत में) ऐसा आराम है कि न तो तुम भूखे रहोगे न नंगे।११८। और यहाँ न तुम प्यासे होगे न धूप में रहोगे। ११९। कु० पा० १६ सू० ताहा० सफेद रंग (शराब) पीने वालों को मजा देगी। ४६। न उससे सर घूमते हैं और न उससे बकते हैं।४७। उनके पास नीची निगाह वाली बड़ी आँखों वाली औरतें (हूरें) होंगी।४८। कु० पा० २३ सू० साफ्फात रु० २।।

"वहां जन्नत में नौकरों से बहुत से मेवे और शराब मंगावेंगे।५१। इनके पास नीची नजर वाली हूरें (बीवियाँ) होंगी और हमउम्र होंगी।" कु० पा० २३ सू० साद ।।

(खुदा ने कहा) ऐसा ही होगा बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से हम उनका ब्याह कर देंगे।५४। सू० दुखान।

"उनके पास लौंडे हैं जो हमेशा लोंडे ही बने रहेंगे। १८। कु० पा० २७ सू० वाकिया"

"उन पर चांदी के गिलास और बर्तनों का दौर चलता होगा कि वह शीशे की तरह होंगे।१५। और वहाँ उनको प्याले पिलाए जायेंगे जिनमें सोंठ मिली होगी।१७। उनके नजदीक नौजवान लड़के फिरते हैं।१९। उनका परवर्दिगार उन्हें पाक शराब पिलावेगा।"२१।

।।कु० पा० २९ सू० दहर ।।

"उन्हें खालिश शराब मुहर की हुई पिलाई जावेगी।२५। जिस बोतल की मुहर कस्तूरी की होगी।"२८। कु० पा० ३० सू० ततफीफ "उनमें कपूर की मिलावट होंगी।"५। सू० दहर।

"जन्नत में इगलामबाजी होगी।" दरमुख्तार जिल्द ३ सुफा १७१।

क्या खूबसूरत गिलमों (लोड़ों) का जन्नत में इसी प्रकार इस्तैमाल किया जायगा ?।

नोट—(जन्नती हूरों के बारे में विशेष पीछे देखें।)

"लाइलाहाइल्लिल्लाह' कहने वाला चोरी और जिना करे तो भी जन्नत में दाखिल होगा।

(मिश्कात किताबुलईमान जि० १ सफा १२, १३ ह० नं० २४)

"हजरत तल्क बिनअली फरमाते हैं कि नबी करीम सलेअल्लाह औलियह वसल्लम ने फरमाया जब मर्द अपनी बीबी को अपनी हाजत (सम्भोग) के लिये बुलाये तो औरत उसके पास चली जावे ख्वाहतनूर पर ही क्यों न हो (मतलब यह है कि ख्वाह वह किसी काम में मशगूल हो उसको छोड़ कर चली आये और उसकी ख्वाहिश को पामाल न करे)। तिरमिजी शरीफ हिस्सा १ सफा २३२ (१०२२ हदीस)।

लौंडी (रखेल औरत)

लौंडियों के बारे में पुस्तक रियाजुस्सालिहीन पृ०१४१ पर लिखा है कि

"अबूहुरैरद (ह०) से रवायत है कि रसूलल्लाह 'सल्ल' से रवायत है जब लौंडी बदकारी करे और उसके उस फैल की तहकीकात हो जावे तो उसको हद लगाई जावे और डाट फटकार न की जावे। फिर अगर दुबारा उससे यह फैल सरजद हो तो उसकी हद लगाई जावे और जज (डांट फटकार) व तौबीख (झिड़कना) न की जावे। अगर तीसरी बार फिर यही अमल करे तो उसे बेच डाले। ख्वाह बाल की रस्सी के मुआवजह में।"

कुरान पारा १८ सूरे नूर रुकू ४ आयत ३३ में जो हम पीछे दे चुके हैं खुलासा लिखा है कि लौंडी से जबर्दस्ती व्यभिचार करने पर खुदा माफ कर देता है। दर्जनों औरतों को लौंडी बना कर रखना

उनसे राजी या कुराजी व्यभिचार करना, इस्लाम में नाजायज नहीं है। मगर यदि वह किसी अन्य से कुछ करा बैठे तो बालों की रस्सी के बदले भी उसे बेच डालने का आदेश है। यह है इस्लाम और कुरान व अरबी खुदा की नजर में औरत जात की कदर।

लौंडी को गिरवी रखना

"अगर कोई शख्स अपनी लौंडी को गिरवी किसी के पास रखदे और गिरवी रखने वाला उससे जिना करे तो उस पर कोई शरईहद नहीं, अगर्चि वह जानता भी हो कि यह लोंडी मुझ पर हराम है।"

हिदायहमुतरज्जिम फारसी जि० १ हदीस ३०२/३०३।

"लौंडी का दूध बेचना दुरुस्त है।" फताबी गरायब पृ० २४८।

"अपनी लौंडी को जिनकी विना पर (जहर देकर) मार डालना दुरुस्त है।" (फताबी खजानतह अलरवायत पृ० ४१७)

नारी की इस्लाम में कितनी इज्जत की जाती है यह ऊपर के प्रमाणों से स्पष्ट है। शिक्षित मुस्लिम औरतों को इस पर विचार करना चाहिये।

मुता की प्रथा

इस्लाम में मुता नाम से एक प्रथा चालू है। किसी भी स्त्री को थोड़े समय के लिये कुछ घन्टों या दिनों के लिये बीबी बना लेना विषय भोग करना और फिर सम्बन्ध विच्छेद करके त्याग देना मुता कहलाता है। यह इस्लाम की मजहबी रिवाज है। अय्याशी के लिये मुता करने पर औरत उस मर्द से अपनी मिहर (विवाह की ठहरौनी की रकम या फीस) मांगने की भी हकदार नहीं होती है।

यदि मुता के दिनों वा घन्टों में विषय भोग से उसे गर्भ रह जावे तो उसकी उस मर्द पर कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। कोई भी औरत कितने मर्दों से मुताकरा सकती है या एक मर्द कितनी भी औरतों से मुता कर सकता है उसकी कोई हद (सीमा) इस्लाम में नहीं है।

इससे स्पष्ट है कि इस्लाम में नारी का महत्व केवल पुरुष की पाशविक वासनाओं की पूर्ति मात्र है। आश्चर्य है जिस मजहब में मुता जैसी गन्दी प्रथा चालू है। वह भी संयम-सदाचार तथा नारी के सन्मान की इस्लाम में दुहाई देने का दुःसाहस करता है।

इस्लामी साहित्य में कुछ विचित्र सी बातें लिखी मिलती हैं जिन्हें देखकर यह प्रगट होता है कि संयम नाम की चीज इस्लाम में कभी नहीं रही है। एक स्थान पर लिखा है "रसूल अल्लाह (ह० मौहम्मद साहब) अपनी सभी औरतों से मैथुन कर चुकने के बाद स्नान किया करते थे।" इब्रेमआजह बाब (सारी स्त्रियों से मैथुन करने के बाद स्नान करने वाला) छापा निजामी दिल्ली।

"ह० आयशा ने कहा जब दो खतने मिल जावें तो स्नान फर्ज हो जाता है। मैंने और हजरत ने ऐसा करने के बाद स्नान किया है।"

इब्ने मआजा फीबाब गुस्ले सफा ४५।

ह० आयशा ने कहा कि रसूलअल्लाह रोजा रख कर मेरा मुँह चूमते और मेरे साथ मैथुन करते थे परन्तु वह अपनी गुप्तेन्द्रिय पर तुमसे ज्यादा काबू रखते थे। (बुखारी)

उपरोक्त बातें इस्लाम में विषय भोग की अत्यधिकता की द्योतक हैं। पर आश्चर्य यह है कि एक नारी के मुंह से यह बातें कही हुई इस्लामी साहित्य में लिखी मिलती हैं। नारी स्वभावतः लज्जाशील होती है। ऐसी संकोच की बातों को आयशा बेगम ने कहा होगा, विश्वास योग्य नहीं है। और यदि सत्य है तो एक नारी के लिये भारतीय दृष्टि से निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। कोई भी संसार की नारी चाहे वह किसी भी स्थिति की क्यों न हो ऐसी बातें कह ही नहीं सकती हैं। इस्लाम की बात दूसरी है। दो एक प्रमाण और भी देखें—

"आयशा रजीअल्लाह से रवायत है कि नबी सले अल्लाह औलियत वसब्लम के साथ आपकी किसी बीबी ने एतकाफ किया

और वह बहालत इस्तहाजा (मासिक धर्म से) थी, खून देखती थी तो कभी खून की वजह से अपने नीचे तश्तरी रख लेती थी।"

(बुखारी भाग १ सफा ७७ ह० २११)

आयशा रजी अल्लाह से रवायत है मैं और नवी सले अल्लाह औलियह वसल्लम एक बर्तन में वजू करते थे, दोनों नापाक होते थे, और आप मुझे हुक्म देते थे पस मैं इजार पहिनती थी, और आप मुझसे मुवाशिरत करते थे और मैं हैजवाली होती थी और आप अपना सर मेरी तरफ कर देते मैं बहालत ऐतकाफ और मैं उसको धोती थी, हालाँकि मैं बहालत हैज होती थी।"

(बुखारी ह० नं० २०८ भाग १ सफा ७६)

यह प्रमाण इस्लाम में नारी की स्थिति का सही दिग्दर्शन कराते हैं। यह बातें मुस्लिम नारियों को अपनी स्थिति के बारे में विचार करने योग्य हैं।

इस्लाम में नारी को बहिन मानने वाला तथा रिश्ते में भाई ही जब उसे पत्नी बना लेता है तो फिर नारी की वहाँ क्या प्रतिष्ठा है। आज जो तुम्हारी बहिन है कल वही तुम्हारी बीबी बन जाएगी। जो आज तुम्हारा भाई है कल वह तुम्हारा दूल्हा भाई बन जावेगा बहिन की लड़की बुआ की लड़की भाई की बेटी चचा की बेटी अपने ही घर में अपने ही घर के भाई की बीबी बना दी जाती है। इस्लाम में औरत को गुलाम से भी बदतर समझा जाता है। वह घर में कैदी की तरह रहती है। बुरके में बन्द रहते हुए खुली हवा को भी तरसती रहती हैं।

मुस्लिम औरतों के इस काले घूँघट का नाम भी ऊटपटाँग है। है तो सरका नाम रखा है बुरका। इस विचित्र भाषा को बोलने में भी शर्म मालूम होती है।

आजीवन साथी के रूप में वस्तुतः नर और नारी का पवित्र सम्बन्ध क्षेत्र व बीज का है। नारी क्षेत्र है तो नर बीजाधान कर्ता है।

सन्तानोत्पत्ति का कर्तव्य दोनों पर आता है। गार्हस्थ्य जीवन से सानन्द रहते हुए वंश परम्परा को जारी रखना, अपने भावी जीवन व वृद्धावस्था के लिये सुख का आधार सन्तान को जन्म देना, उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना, उसे सुशिक्षा द्वारा देश व समाज के लिये योग्य नागरिक बनाना यह सभी गृहस्थों के उत्तरदायित्व होते हैं। इसीलिये प्रत्येक माता पिता अपनी सन्तान की इच्छा रखते हैं। बालक को गोद में खिलाने उसे प्यार करने, उसे सुखी बना कर स्वयं सुख अनुभव करने की इच्छा सभी की होती है। जिनके सन्तान नहीं होती है वह उसके अभाव को अत्यधिक अनुभव करते व परेशान रहते हैं। उनके निधन के पश्चात उनकी सम्पत्ति की दुर्दशा होती है तथा वृद्धावस्था में वे सेवा सहायता के लिये दुःखी देखे जाते हैं। यह सब लोक में नित्य देखा जाता है।

लोक में विचारकों वा समाज के लिए उन्नतिकारक नियम बनाने वालों ने अपने २ समाजों के लिए सभी प्रकार की हालतों पर विचार करके शुभकालिक व आपत्तिकालिक अवस्थाओं के लिये अपने २ देश की परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थायें बनाई गई हैं जो उनके धर्म ग्रन्थों में संग्रहीत हैं और उनके समाज उनके द्वारा संचालित होते रहे हैं।

आपत्तिकालिक परिस्थितियों में वे स्थितियाँ भी हैं जिनमें पति के दोष से सन्तान न होती है। पति बृद्ध होने से सन्तानोत्पत्ति में शक्ति-हीन हो, पुरुष में इन्द्रिय सम्बन्धी ऐसे दोष हों कि वह इस विषय में असमर्थ हो उसमें वीर्याणु ही न हों, पति की मृत्यु हो जावे और सन्तान न हो, पति पत्नी को छोड़ कर परदेस चला जावे और न आवे। पत्नी ही बाँझ हो, उसके शरीर में रोग या प्राकृतिक बनावट का दैवी दोष जन्मना हो ऐसी विषम परिस्थितियों में यदि पति दूसरी शादी करे तो गृह कलह को आमन्त्रित करना होगा। यदि किसी को गोद लेंगे तो उनका उस बालक में तथा बालक का उनमें उतना

ममत्व नहीं होगा जितना अपने अन्श के साथ होता है। ऐसी दशा में भारत में नियोजित सन्तान की व्यवस्था मिलती है उसमें परिवार की सम्पत्ति भी अन्य कुलों में नहीं जाती है, वंश परम्परा भी सुरक्षित रहती है और सन्तानहीन पुरुष वा सन्तानहीन स्त्री का जीवन भी सन्तान मिलने से आनन्दित रहता है।

विधवा पत्नी के दूसरी शादी दूसरी जगह कर लेने पर पूर्व पति की सम्पत्ति दूसरे कुल में चले जाने का भय रहता है तथा पुरुष के वृद्ध माता पिता उस अवस्था में सेवा आदि से भी बंचित हो जाते हैं व कुल का विनाश हो जाता है।

कुरान ने भी स्त्री को 'खेती' (क्षेत्र) की संज्ञा दी है किन्तु उसमें अप्राकृतिक (पुँमैथुन) व्यभिचार का पुट लगा देने से उसे भ्रष्ट कर दिया है जैसा कि लिखा है—

"तुम्हारी बीबियां तुम्हारी खेती हैं **जाओ जहाँ से चाहो उनके पास**" (लखनऊ छापा शाह अब्दुल कादिर का तर्जुमा)

कु० पा० २ सू० बकर रु० २८ आ० २२३।

तौरात में नियोग

इसी प्रकार की व्यवस्था तौरात में मिलती है। निम्न प्रमाण दृष्टव्य हैं—

जब कई भाई संग रहते हों और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का विवाह परगोत्री से न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कबूले और उससे पति के भाई का धर्म पालन करे।५। और जो पहिला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुये भाई के नाम का ठहरे जिससे कि उसका नाम इस्राएल में से न मिट जाए।६। यदि उस स्त्री के पति के भाई को उसे ब्याहना न भाए तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों से जाकर कहें कि मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इस्राएल में बनाए रखने से नकार दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म

पालन करना नहीं चाहता ।७। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवा कर उसको समझायें, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे कि मुझको इसे ब्याहना नहीं भाता ।८। तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पाँव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे, और कहे जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना न चाहे उससे इसी प्रकार व्यवहार किया जायेगा ।९। तब इस्राएल में उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा, अर्थात् जूती उतारे हुए पुरुष का घराना ।" (व्यवस्था विवरण २५)

दूसरा प्रमाण बाइबिल पुराना धर्म नियम का भी देखें—

(बोअज ने कहा) फिर महलोन की स्त्री रूतमोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस मन्शा से मोल लेता हूं कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूं । कहीं ऐसा न हो कि मरे हुए का नाम उसके भाईयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए । तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो ।" रूत ४।

उपरोक्त प्रमाण सन्तानेच्छुक विधवा के साथ सम्बन्ध करके सन्तान पैदा न करने पर औरत जूते मारती है और मुंह पर थूकती है । वंश संचालनार्थ नियोग की तौरात में यह व्यवस्था उचित थी यहूदी समाज में प्रचलित थी तरीके में भेद रहा हो ।

वीर्य तत्व का हिन्दुओं की दृष्टि में अत्यन्त महत्व है, उसे नष्ट करना, अय्याशी के चक्कर में मुसलमानों की तरह बरबाद करना हिन्दू लोग पाप समझते हैं । उसे धारण करना जीवन है और उसे बरबाद करना मृत्यु समझते हैं । बल बुद्धि का विकास दीर्घ स्वस्थ प्रसन्नतापूर्ण जीवन की प्राप्ति वीर्य धारण करने से सम्भव होती है । वीर्य धातु का उपयोग केवल सन्तान उत्पादनार्थ ही हमारे धर्म में निहित है । इसलिए यह विधान किया गया है कि उसका उपयोग वा प्रयोग केवल प्रजा वृद्धि में किया जावे । यदि कोई गलत आहार

व्यवहार से अपने ब्रह्मचर्य को स्थिर रखने में समर्थ न पावे तो वह गृहस्थाश्रम में जाकर उसका सदुपयोग करे। अथवा समाज के सम्मुख अपनी विवशता प्रगट करे और स्वीकृति से किसी ऐसे क्षेत्र में उसका उपयोग करे जिसे सन्तान की इच्छा है। और उसका पति नपुंसक हो वा स्त्री विधवा हो और उसे वंश संचलानार्थ सन्तान की इच्छा हो। इसे ही नियोग की आपत्तिकालिक व्यवस्था कहा जाता है। तौरात में नियोग की एक व्यवस्था और भी देखें—

"तब यहूदा ने ओनान से कहा अपनी (विधवा) भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिये सन्तान उत्पन्न कर।९। ओनान तो जानता था कि सन्तान तो मेरी न ठहरेगी, सो ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्य गिरा कर नाश किया जिससे ऐसा न हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले।१०। यह काम जो उसने किया उससे यहोवा खुदा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला।११। तौरात उत्पत्ति ३८।।

कुरान की मान्य खुदाई पुस्तक तौरात की यह घटना उसके मान्य खुदा यहोवा की ओर से साक्षात् नियोग थी जो वंश चलाने के लिए समाज में स्वीकृत थी।

चार-चार औरतों से शादियां व अनेक रखेलें रखने से वीर्य नाश का इस्लाम में दरवाजा खुला हुआ है मरने पर जन्नत में ५०० हूरें, चार हजार क्वारी औरतें व आठ हजार विवाहिता औरतें हर मियां को मिलेंगी उनसे खुदा उनकी शादी करायेगा, गिलमें (लौंडे) भी खुदा प्रदान करेगा यह सब बताता है कि इस्लाम में पुरुष जीवन का मुख्य उद्देश्य ही विषय भोग करना व वीर्य तत्व का विनाश मनो-रंजन के लिये करना है। और खुदा इससे सहमत है। शराबें पीकर विषयेच्छायें जन्नत में खूब बलवती होंगी और अय्याशी के खुले साधन वहां मिलेंगे। जन्नत में १२५०० औरतें मिलने की बात मिर्जा

हैरत देहलवी ने अपनी किताब मुकद्दमाये तफसीरुलकुरान में पृ० ८३ पर लिखी है। क्योंकि कुरान में लिखा है कि आदमी के सोजाने पर उसकी रूह को खुदा अपने पास बुला लेता है।

(देखो कुरान पा० २४ सू० जुमर रु० ५ आ० ४२)

मिर्जा हैरत देहलवी भी खुदा के पास जाकर जन्नत का सारा तमाशा खुद ही देख कर आये थे। कोई भी मौलवी उनकी चश्मदीद बात को गलत कैसे कर सकता है।

यद्यपि कुरान पा० ३० सू० जुमर में लिखा है—

"...और जो अपने परवर्दिगार के सामने खड़े होने से डरा और इन्द्रियों (नफ्स-विषय भोग) की इच्छाओं को रोकता रहा।४०। तो उसका ठिकाना बहिश्त है।४१॥

इसमें विषय भोग से बचने वालों को बहिश्त मिलने का उपदेश दिया गया है किन्तु स्वय ही ह० मौहम्मद साहब ने ही इसका पालन कभी नहीं किया जैसा कि कुरान से स्पष्ट है। वहाँ लिखा है—

"ऐ पैगम्बर ! हमने तेरी वह बीबियाँ तुझ पर हलाल कीं जिनकी मेहर तू दे चुका है और लोंडिया जिन्हें अल्लाह तेरी तरफ लाया और तेरे चचा की बेटियाँ और तेरी बुआ की बेटियाँ और तेरे मामा की बेटियां और तेरी मौसियों की बेटियाँ जो तेरे साथ देश त्याग कर आई हैं और वह मुसलमान औरतें जिन्होंने अपने को पैगम्बर को दे दिया बशर्ते कि पैगम्बर भी उनके साथ निकाह करना चाहे। यह हुक्म खास तेरे ही लिये है सब मुसलमानों के लिये नहीं ...। ५०। (ऐ पैगम्बर ! इस बक्त के बाद से) दूसरी औरतें तुमको दुरुस्त नहीं और न यह कि उनको बदल कर दूसरी बीबी करलो। अगर्चि उनकी खूबसूरती तुमको अच्छी ही क्यों न लगे। मगर बांदियाँ (और भी आ सकती हैं) और अल्लाह हर चीज को देखने वाला है।५२। कु० पा० २२ सू० अहजाब रु० ६॥ (बाँदियों से जिना कुरान में जायज है) रामनगर बनारस के एक मौलवी अबूमुहम्मद ने ह. मुहम्मद साहब की

बीबियों की संख्या १२ लिखी है (यह उनकी निकाही औरतें थी) जो इस प्रकार हैं —

(१) खदीजा पुत्री खुवैदिल (२) सौदह पुत्री जमअः । (३) आयशा पुत्री अबूवकर (४) हफ्जा पुत्री उमर (५) जैनब पुत्री खजीमा (६) उम्मे सलमा पुत्री अबूउमय्या (७) जैनब पुत्री हजश (८) जेबरिया पुत्री हारिस (९) रेहाना पुत्री मजीद (१०) उम्मे हबीबा पुत्री अबूसुफ्फान (११) सफीया पुत्री लम (१२) मैमुनः । निकाही इन एक दर्जन बीबियों के अतिरिक्त बिना निकाही औरतें व दासियों के रूप में उनके पास कितनी स्त्रियां और रहती थीं उनकी संख्या व नामावली हमको नहीं मिल सकी है। किन्तु उनकी संख्या भी यथेष्ट होगी क्योंकि खुदा ने वे उनको भेंट की थीं।

ब्रह्मचर्य व संयम का उपदेश दूसरों को देने वालों के लिए उस पर स्वयं आचरण करना अधिक आवश्यक होता है तभी अनुगामी लोगों पर असर पड़ता है। खुद ४० साल की उम्र में हजरत मुहम्मद साहब ने केवल ७ साल की बच्ची आयशा से अपनी शादी की थी— इस मिसाल को पेश करके उन्होंने अपना कौनसा गौरव बढ़ाया था। पाठक स्वयं सोचें। दूसरों के लिए कुरान में एक-एक, दो-दो, तीन-तीन, चार-चार औरतों से शादी करने की मर्यादा बांधना व स्वयम् एक दर्जन शादियाँ करना 'दीगर नसीहत व खुदरा फजीहत' वाली बात है। आज जिस मामाजात-मौसीजात-व बुआ व चचाजात लड़की को बहिन कहना व दूसरे दिन उसे ही जोरू बना लेना क्या यही धार्मिक मर्यादा इस्लाम में औरत की इज्जत की है। जो आज भाई है वही कल शौहर है। जो आज गोद लिये बेटे की बहू है वही दूसरे दिन अपनी बीबी बना ली जाती है जैसा कि जैद की बीबी जैनब के लिए ह० मौहम्मद साहब ने बना कर दृष्टांत प्रस्तुत किया था। इसी तरह तो जो बाप की रखेल के रूप में आज मां है कल वही आपके बेटे की बीबी भी बन सकेगीं। क्या इसी अरबी असभ्यता को इस्लाम

संसार में फैलाकर नैतिकता की सभ्य संसार की सभी आदर्श वैज्ञानिक मर्यादाओं का विनाश करने पर तुला है। क्या अरबी खुदा इतना भी नहीं जानता था कि निकट के विवाह सम्बन्धों से आगे की नस्ल बिगड़ कर अनेक रोगों की शिकार बन जाती है। कुत्ते पालने वाले भी तो यह जानते हैं और अच्छी नस्ल बनाने को दूर की नस्ल से मिला कर अच्छे कुत्ते पैदा कराते हैं। अरबी कुरान लेखक खुदा को इतनी सी साधारण बात भी नहीं आती थी, ताज्जुब है। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि मुस्लिम समाज में बहिन-बेटी-माँ आदि के सभी रिश्ते कोरे दिखावटी हैं। असली रिश्ता तो हर औरत से पत्नी का ही इस्लाम में माना जाता है। इमाम अबू हनीफा तो यही मानते थे कि मौहर्रम्मात आब्दियः (सभी मां व बहिन, बेटी) से जिना करना पाप नहीं है।

यह आदर्श तो केवल हिन्दू समाज में ही है कि जिसने माँ-बहिन या बेटी जवान से कह दिया उससे जीवन भर उसी रूप में हिन्दू रिश्ता निबाहता है और हर स्त्री अपनी इज्जत के लिए आश्वस्त रहती है। जिससे जिसका एक बार विवाह हो गया वह जीवन भर हर स्थिति में पति पत्नी के रूप में उसे पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब भी चाहे तलाक दे दे अथवा औरत मर्द को या मर्द औरत को पुरानी जूती की तरह जैसा कि इस्लाम में नारी बदलने की कुरान से समर्थित रिवाज है। नारी की प्रतिष्ठा इस्लाम में केवल बिषय भोग के लिए पशु धन के रूप में क्रीत दासी के समान है। जबकि हिन्दू धर्म में वह माता-पुत्री-पत्नी व देवी के रूप में उपासनीय व आदरणीय स्थान पाती है। पता नहीं मुस्लिम नारी अपनी वर्तमान स्थिति को कैसे व कब तक बर्दाश्त करती रहेगी।

हमको कुरान की इस व्यवस्था पर भी आपत्ति है जिसमें कहा गया है—

"फिर जिन औरतों से तुमने मजा उठाया हो तो उनसे जो

(धन या फीस) ठहरी थी उनके हवाले करो, ठहराये पीछे आपस में राजी हो कर जो और ठहरा लो तो तुम पर इसमें कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह जानकार हिकमत वाला है। सू० निसा आ० २४॥

यह व्यवस्था बहुत आपत्तिजनक है। औरतों के सतीत्व की कीमत कुछ पैसे कुरान मानता है जो वेश्याओं की फीस की तरह उनसे पहिले ठहरा लिये जाने चाहिये और उसके बाद उनसे अय्याशी की जानी चाहिए। यदि निकाह कर लिया हो और उनसे फीस (मिहर) ठहरा ली हो तो मर्द जब भी चाहे अपना शौक पूरा करने पर वह फीस या मिहर उनको देकर तलाक दे सकता है, उन्हें घर से निकाल सकता है, उनसे छुट्टी पाकर नई बीबी कर सकता है। इस प्रकार नारी की स्थिति मर्द का शौक पूरा करना उस दशा में बन जाती है जबकि वह उसे पकड़ लावे–लूट लावे या वह किसी प्रकार उसके कब्जे में आ जावे। यदि स्त्री एक बार मर्द की ख्वाहिश पूरी करने की फीस ठहराने के बाद और भी उसके कब्जे में फंसी रहे तो मर्द उससे आगे की फीस भी तै करले यही तो इस आयत के शब्दों का अर्थ है। और यह सब अरबी खुदा की आज्ञा के अनुसार होता है शादी के वक्त जो रकम मर्द द्वारा पत्नी को तलाक देने को दशा में देना तय होती है उसे मिहर कहते हैं। औरत की इज्जत (सतीत्व) का मूल्य बस केवल यह मिहर ही होती है। मर्द चाहे जितनी औरतों से निकाह करता जावे और तय हुई मिहर उसे देकर तलाक देकर नई औरत करता रहे, उसको पूरा अधिकार है। उस पर जिम्मेवारी केवल मिहर देने मात्र की रहती है। और इससे ज्यादा वह कुछ उससे नहीं ले सकती है।

इस्लाम में नारी की दशा का यह सही चित्र है जो मुस्लिम नारियों व समझदार मुसलमानों को विचारणीय है कि पैसे के बल पर तथा पशु बल से, मर्द औरत के सतीत्व व उसके शरीर की कितनी दुर्दशा कर सकता है, और यह सब इस्लाम मजहब में जायज है।

अधिक पत्नियाँ रखने पर जहां पुरुष का जीवन क्लेशमय हो जाता है, घर का वातावरण अत्यन्त कलहपूर्ण वन जाता है, सन्तान भी बाप की देखादेखी विषय भोग प्रिय व दुराचारी बन जाती है वहां सौतिया डाह से नारियों का जीवन भी जलन-दुःखी व दुराचारपूर्ण बन जाता है। चाहे मर्द कितना ही सम्पन्न व औषधि सेवन करके पत्नियों को गृहस्थी से सन्तुष्ट रखने का यत्न करने वाला क्यों न हो। इस विषय में हजरत मौहम्मद साहव के परिवार की स्थिति भी बहुत खराब थी जैसा कि कुरान से ही स्पष्ट है। कुरान में खुदा कहता है-

"ऐ पैगम्बर की बीबियो ! तुम में से जो कोई जाहिरा बदकारी करेगी उसके लिए दोहरी सजा दी जाएगी और अल्लाह के नजदीक यह मामूली बात है।" कु० पा० २२ सू० अहजाब आ० ३०।

"अगर तुम दोनों (हिफजा और आयशा) अल्लाह की तरफ तौबा करो, क्योंकि तुम दोनों के दिल टेढ़े हो गये हैं और जो तुम दोनों पैगम्बर पर चढ़ाई करोगी तो अल्लाह और जिब्रील और नेक ईमान वाले उसके दोस्त हैं और उसके बाद फरिश्ते उसके मददगार हैं।४। अगर पैगम्बर तुम सबको तलाक दे तो अजब नहीं कि उसका परवर्दिगार तुम्हारे बदले उसको तुमसे अच्छी बीबियाँ दे जो...... ब्याही हुई और क्वारी हों।५। कु० पा० २८ सू० तहरीम।

यह प्रमाण कुरान के हैं जो सभी मुसलमानों को मान्य हैं। इससे प्रगट है कि ह० मुहम्मद की बीबियों में भारी असन्तोष रहता था, वे बदकार भी हो गई थीं, वे मौहम्मद से लड़ाई झगड़ा किया करती थीं। कोई औरत बदकार तभी होती है जब मर्द उसे सन्तुष्ट न रख सके। गृह कलह यहीं तक नहीं थी वरन एक बार खैवर में मुहम्मद की यहूदी बीबी जैनब ने उनको जहर भी भुने गोश्त में मिला कर दे दिया था जिसे यद्यपि उन्होंने मुंह में चबा कर थूक दिया था तथा उनका एक साथी वशर बिनबरा ने एक निवाला खाया तो वह मर गया था। (देखो हफवातुल मुसलमीन पृष्ठ २१५ ...)

पंजीग्रहण क्रमांक 5334
दयानन्द महिला ... पुस्तक

बुखारी ने लिखा है कि बीबी आयशा ने कहा कि ह० मुहम्मद ने अपनी मृत्यु शय्या पर लेटे हुए कहा कि हे आयशा ! मैं हर समय इस खाने से दुःख पाता हूँ जो मैंने खैबर में खाया था और इस समय उस जहर से मेरी जान टूटती मालुम होती है··· ।"

मिश्कातुल, अनवार बाब ३ सुफा ५८ ।

अधिक विवाह करने के शौकीनों की यही दशा होती है, बीबियां लड़ती व उस पर हमले करती हैं, वे पति को जहर देकर मारने में भी नहीं चूकतीं हैं तथा कुछ बदकार होकर गैरों के साथ भाग कर शौहर का नाम भी डुबो देती है । अन्त समय में मनुष्य अपनी भूलों पर पछताता व रोता है किन्तु तब क्या होता है जब समय हाथ से निकल चुकता है ।

इस्लाम में केवल बहु विवाह ही जायज नहीं रहे हैं वरन व्यभिचारियों को व्यभिचार के लिए बाँदियाँ चाहे जितनी रखने व उनसे जिना करने की भी छूट रही हैं जैसा कि कुरान में आदेश है कि—

"मगर अपनी बीबियों और बांदियों के बारे में इल्जाम नहीं है"

कु० पा० १२ सू० मोमिनून आ० ६॥

इस प्रकार कुरान व उसकी समर्थक विभिन्न मान्य इस्लामी पुस्तकों से प्रमाणित है कि इस्लाम में नारी की स्थिति पुरुष की काम पिपासा की पूर्ति करना मात्र है । वह विवाहित-अविवाहित वा दासी के रूप में जितनी चाहे स्त्रियां रखने में स्वतन्त्र है पर शर्त केवल यह कुरान में लगाई गई है कि वह विवाहित औरतों से हर बात में एक जैसा व्यवहार रखकर उनको सन्तुष्ट रख सके ।

इस्लाम की नारी सम्बन्धी व्यवस्था के विपरीत हिन्दू धर्म में स्त्रियों की स्थिति अत्यन्त आदर्णीय है । महर्षि मनु ने अपनी स्मृति (धर्म शास्त्र में) लिखा है—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राऽफला क्रियाः ॥ मनु ३/५६।

जिस घर में नारी जाति की पूजा आदर सत्कार होता है वहां

देवता धर्मात्मा पुरुष व आनन्द रहता है, और जहाँ उनका अपमान होता है वहां सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं और वहाँ क्लेश का निवास हो जाता है।

वेद में लिखा है—

सम्राज्ञेधि श्वसुरेषु सम्राज्युत देवृषु।

ननान्दुः सम्राज्ञेधि सम्राज्युत श्वश्रवाः ॥ अथर्व वेद ४।१।४४

हे देवि! अपने श्वसुर आदि के बीच, देवरों के बीच, नन्द के साथ तू ससराल में महारानी बन कर रह।

वैदिक धर्म में नारी की स्थिति पति गृह में महारानी की है। वह सभी की आदरणीय होती है। सारे घर व परिवार का संचालन उसी के हाथ में रहता है. घर की सारी सम्पत्ति धन आभूषण सभी उसके अधिकार में रहते हैं। पति तथा परिवार के सभी लोग प्रत्येक महत्व पूर्ण काम में उसकी सलाह लेते हैं तथा उसकी इच्छानुसार होते हैं। इस्लाम मत के समान नारी को पैर की जूती के समान बुरी निगाह से नहीं देखा जाता है। पति के कुल में वह पति-पुत्र एवं परिवार में सर्वप्रमुख स्थान रखती है।

हिन्दू धर्म में एक पुरुष के लिये एक ही नारी से विवाह का विधान है न कि इस्लाम की तरह चार-चार औरतों से निकाह करने व रखेलें रख कर उसके जीवन को क्लेशमय बनाने का आदेश है। एक बार शादी होने के बाद हिन्दू पति को प्रत्येक अवस्था में अपनी पत्नी को जिन्दगी भर धर्म पत्नी के रूप में निबाहने की आज्ञा है और सारे हिन्दू इसका पालन करते हैं। हिन्दू समाज में नारी बुर्के में कैद नहीं रखी जाती है। वह बहुत हद तक स्वतन्त्र है और हर काम में पति की सहचरी है। नारी का जो पवित्र आदरणीय स्थान हिन्दू धर्म में है वह संसार के किसी भी मजहब में नहीं है। पुत्री बहिन एवं पत्नी के रूप में वह सदैव पूज्य एवं आदरणीया है।

इसीलिये अन्य मजहबों की समझदार सैकड़ों स्त्रियां हिन्दू धर्म में आना पसन्द करती है क्योंकि एक स्त्रीव्रत का आदर्श हिन्दू समाज में पालन किया जाता है तथा तलाक जायज नहीं है।

शरीयत कानून में मुस्लिम स्त्री की दुर्दशा

१—मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बन्धुआ मजदूरों जैसी है, क्योंकि उनको कोई स्वतन्त्रता अथवा समता प्राप्त नहीं है। वे अपने पति की दासी (गुलाम) हैं और मुस्लिम पति को अन्य अनेक अधिकारों के साथ साथ अपनी पत्नी की मारने पीटने, सौतिया डाह देने एवं अकारण विवाह विच्छेद (तलाक) के स्वेच्छाचारी अधिकार हैं। मुस्लिम पत्नी को किसी भी दशा में विवाह विच्छेद तक का अधिकार नहीं है। (आई० एल० आर० ३३ मद्रास २२)।

२—उपरोक्त अधिकार मुस्लिम पतियों को पवित्र कुरान में नहीं दिये गये हैं। (ए० आई० आर० १९७१ केरल २६१ एवं १९७३ केरल १७६) परन्तु फिर भी उनका उपयोग किया जा रहा है, और उपरोक्त भय एवं डर के कारण मुस्लिम पत्नियाँ कुछ भी नहीं कह पाती हैं। अभी कुछ दिन पहले मुस्लिम महिलाओं द्वारा अपने परिवार के साथ भी सिनेमा देखने पर उनकी मारपीट की गई और कहीं-कहीं उनके अंग भंग तक के समाचार मिले हैं। अर्थात् उन्हें अपने समाज में भी बराबरी के अधिकार नहीं हैं। यह अत्याचार शरियत के नाम पर किया जाना कहते हुए किया जाता है।

३—मुस्लिम पतियों के नाम इन अप्रतिबन्धित अधिकारों में से मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान एवं बंगला देश ने पतियों के बहुपत्नीत्व के अधिकार पर एवं ईराक ने पतियों के विवाह विच्छेद के अधिकार पर अंकुश लगा दिया है।

४—मुसलमानों पर शरियत कानून उनके अपने धर्म के प्रति अधिक सजग रहने के कारण लागू नहीं होता है, बल्कि शासन द्वारा बनाये १९३७ के शरियर लागू करने के कानून से लागू है, और इसी आधार पर ब्रिटिश काल में अंग्रेज सरकार ने शरियत कानून में संशोधन कर मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम १९३९ लागू कर मुस्लिम पतियों द्वारा अपनी पत्नियों पर किये जा रहे अमानुषिक अत्याचार रोकने की दशा में पग उठाया। इस कानून को पारित होने के पूर्व

सन्दर्भ पु 5334
परिग्रहण क्रमांक
दयानन्द महिला महाविद्यालय, कानपुर

तक मुस्लिम पत्नी को अपने पति द्वारा अपनी पत्नी को धर्म का पालन न करने देने, व्यभिचार तक को वाध्य करने का प्रयत्न करने पर भी उनके भरण पोषण का प्रबन्ध करने, अथवा स्वयं पति के नपुंसक, पागल, कोढ़ी, उपदंश आदि भयंकर रोगों से पीड़ित होने पर अथवा व्यभिचारी होने पर भी, अथवा अपनी पत्नी की मारपीट करने एवं अन्य निर्दयी व्यवहार करने पर भी अपने ऐसे पति से भी विवाह विच्छेद प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं थी ।

५—विवाह सामाजिक संस्था है और उसमें समय एवं परिस्थिति के कारण परिवर्तन एवं संशोधन आवश्यक होता है, और इस संबन्ध में राज नियम भी बनाए जा सकते हैं, और यदि धर्म भी आड़े आवे तो शासन उसमें संशोधन कर सकता है । (ए०. आई० आर० १९५२ बम्बई ८४) (संविधान अनुच्छेद २६) । हिन्दुओं में विवाह धार्मिक संस्कार होते हुये भी समय की माँग के अनुसार उसमें संशोधन किये गये हैं ।

६—अपना पवित्र संविधान १५ (३) महिलाओं की सुरक्षा आदि के लिये विशेष राज नियम बनाने को अधिकार देता है। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति दयनीय है उनकी सुरक्षा एवं उन्नति के लिए बंधुआ मज़दूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम १९७६ के अनुरूप कानून बनाया जाना आवश्यक है । देवदासी प्रथा उन्मूलन के सम्बन्ध में भी कानून बनाये जाने की मांग हो रही है । अपने राष्ट्र के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं वर्तमान में उपराष्ट्रपति माननीय मोहम्मद हिदायत उल्ला महोदय अनेक उच्च न्यायालय प्रमुख विधिवेत्ता एवं विचारकों ने भी मुस्मिम महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कानून बनाये जाने की आवश्यकता बताई है ।

अतः निवेदन है कि मुस्लिम महिलाओं की उन्नति एवं उन्हें सम अधिकार दिलाये जाने के लिए विशेष कानून निर्माण किया जाना अति आवश्यक है । (साभार)

"समाचार पत्र से प्रकाशित उद्धरण"